- (b) against serial number 2, relating to the duty posts in Higher Administrative Grade, for the words and figures, "the pay band-4, Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs.10000", the words and figures, "level 14 of pay matrix" shall be substituted:
- (c) against serial number 3, relating to the duty posts in Senior Administrative Grade, for the words and figures, "the pay band-4, Rs.37400-67000 with grade pay of Rs.8700", the words and figures, "level 13 of pay matrix" shall be substituted;
- (d) against serial number 4, relating to the duty posts in Junior Administrative Grade, for the words and figures, "the pay band-3, Rs. 15,600 39100 with grade pay of Rs.7600", the words and figures, "level 12 of pay matrix" shall be substituted:
- (e) against serial number 5 (a), relating to the duty posts in Non-functional Second Grade,-
 - (i) in column (3), for the words "By appointment in the order of seniority based on suitability taking into account the overall performance, experience and other related matters.", the words, letters and figures "By appointment in the order of seniority based on suitability taking into account the overall performance, experience and other related matters in terms of Department of Personnel and Training O.M. No.28038/1/88-Estt.(D), dated the 9th October, 1989, as amended from time to time." shall be substituted;
 - (ii) in column (4), for the words and figures, "the pay band-3, Rs. 15,600 39100 with grade pay of Rs.6600", the words and figures, "level 11 of pay matrix" shall be substituted;
- (f) against serial number 5(b), relating to the duty posts in Senior Time Scale, in column (4), for the words and figures, "the pay band-3, Rs. 15,600 39,100 with grade pay of Rs.5400", the words and figures, "level 10 of pay matrix" shall be substituted;
- (g) against serial number 6, relating to the duty posts in Junior Time Scale, for the words and figures, "the pay band-2, Rs.9300 34,800 with grade pay of Rs.4600", the words and figures, "level 7 of pay matrix" shall be substituted.

[No. /2017/ F. No. A-12018/2/2016-Estt.I]

NARENDRA SINGH, Under Secy.

Note: The principal rules were published *vide* notification number G.S.R. 252, dated thes 22nd October, 2013 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 2nd November, 2013.

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2017

सा.का.नि. 372.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद **309** के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रसायन और पेट्रो-रसायन (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, **2002** को, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया हो या करने से लोप किया गया है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रसायन और पेट्रो रसायन (समूह 'क' तकनीकी अधिकारी) भर्ती
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद संख्या वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** : पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4)
- 3. भर्ती की पद्धित आयु सीमा, अर्हताएं आदि उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा और उससे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है
- 4. निरर्हता: वह व्यक्ति -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 5. शिथिल करने की शिक्त_: जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा से छूट और अन्य आदेशों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयन या अचयन	सीधी भर्ती किए जाने वाले
			में स्तर	पद है	व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.सहायक	01*	सामान्य केन्द्रीय	स्तर-10	लागू नहीं होता ।	35 वर्ष से अनधिक ।
औद्योगिक	(2017)	सेवा, समूह 'क',	(रु.56,100-		टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा
सलाहकार	्र *कार्यभार के आधार	राजपत्रित,	1,77,500)		जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों
	पर परिवर्तन किया	अननुसचिवीय			के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल किया
	जा सकता है।				जा सकता है।
					टिप्पण 2 : आयु सीमा
					अवधारित करने के लिए
					निर्णायक तारीख भारत में
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने
					के लिए नियत की गई अंतिम
					तारीख होगी (न कि वह अंतिम
					तारीख जो असम, मेघालय,
					अरुणांचल प्रदेश, मिजोरम,
					मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,
					सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के
					लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के
					लाहौल और स्पीति जिले तथा
					चम्बा जिले के पांगी उपखंड,
					अंडमान और निकोबार द्वीप या
					लक्ष्य द्वीप के अभ्यर्थियों के लिए
					विहित की गई है) ।

यों के लिए विहित आयु	भवधि यदि कोई	भर्ती की पद्धितः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा होगी तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
		सिधी भर्ती द्वारा टिप्पण 1: पदधारी की नियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्ध सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों के निम्निखित अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी अर्थात:- (क)(i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है, या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रु.47,600-1,51,100) के स्तर 8 में उस पद पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो या (ख) स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो। टिप्पण 1- प्रतिनियुक्ति की अविध (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अविध है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
	यों के लिए विहित आयु द गैक्षिक अईताएं प्रोन्नत ह यों की दशा में लागू या नहीं (8)	यों के लिए विहित आयु अविध यदि कोई गैक्षिक अईताएं प्रोन्नत हो यों की दशा में लागू या नहीं (8) (9)

लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन		
समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त		
संख्या में उपलब्ध होने की संभावना		
नहीं है।		

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन ग्रेडों द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति : 1. संयुक्त सचिव (स्थापना), रसायन और पेट्रोरसायन विभाग - अध्यक्ष 2. अपर औद्योगिक सलाहकार, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग - सदस्य 3. उप सचिव (स्थापना), रसायन और पेट्रोरसायन	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उप औद्योगिक सलाहकार	02* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-11 (रु.67,700- 2,08,700)	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	50% संयुक्त पद्धति द्वारा [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक
			संविदा सहित) और प्रोन्नति],
			50% प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

(11)	(12)	(13)
संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित)	लागू नहीं होता ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
और प्रोन्नित]-		करना आवश्यक है ।
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघशासित क्षेत्रों या		
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यता		
प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं, अर्द्धसरकारी या स्वायत्त		
निकायों या सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारीः		
(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार		
पर सदृश पद धारण किया हुआ है, या		
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में		
स्तर-10 (रु.56,100-1,77,500) या समतुल्य में		
नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस		
श्रेणी में की गई पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और		
(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव प्राप्त हो		

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से
रसायन की किसी शाखा (किन्तु जैव रसायन को छोड़कर)
में मास्टर डिग्री और इसके साथ ही केंद्रीय या राज्य संघ
शासित क्षेत्र के सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के
उपक्रमों या स्वायत्त संगठनों या विश्वविद्यालयों या
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रसायन एवं पेट्रोरसायन की
अनुसंधान संस्थाओं में रसायन या पेट्रोरसायन में 3 वर्ष
का अनुभव प्राप्त हो, या
(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान की
रमाग्रन हंजीनिगरी या रमाग्रन पौटांगिकी में सातक

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान की रसायन इंजीनियरी या रसायन प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री और साथ ही केंद्रीय या राज्य या संघ शासित क्षेत्रों के सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या कानूनी और स्वायत्त संगठनों या रसायन या पेट्रोरसायन की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में रसायन एवं पेट्रोरसायन में चार वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

टिप्पण 1- ऐसे विभागीय सहायक औद्योगिक सलाहकार, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (रु.56,100-1,77,500) के स्तर-10 की उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है, बाहर वालों के साथ विचार किया जायेगा और उसके पद पर नियुक्ति के लिए चयन किए जाने की दशा में वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जायेगा।

टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सिहत), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सिहत) की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. संयुक्त औद्योगिक सलाहकार	02*	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-12 (रु.78,800- 2,09,200)	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	50% संयुक्त पद्धति द्वारा
			[प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक
			संविदा सहित) और प्रोन्नति],
			50% प्रतिनियुक्ति द्वारा
			(अल्पकालिक संविदा सहित)

(11)	(12)	(13)
संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित) और प्रोन्नति]:-	लागू नहीं होता ।	संघ लोक सेवा आयोग से
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघशासित क्षेत्रों, सार्वजनिक क्षेत्र के		परामर्श करना आवश्यक है ।
उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं,		
अर्द्धसरकारी या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारीः		
(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है या		
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11		
(रु.67,700-2,08,700) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर		
नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में की गई पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और		
(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव प्राप्त हो		
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन की किसी		
शाखा (किन्तु जैव रसायन को छोड़कर) में मास्टर डिग्री और इसके साथ		
ही केंद्रीय या राज्य संघ शासित क्षेत्र के सरकारी विभागों या सार्वजनिक		
क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त् संगठनों या विश्वविद्यालयों या सरकार द्वारा		
मान्यता प्राप्त रसायन एवं पेट्रोरसायन की अनुसंधान संस्थाओं में रसायन		
या पेट्रोरसायन में 8 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, या		
(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान की रसायन इंजीनियरी		
या रसायन प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री और साथ ही केंद्रीय या राज्य या संघ शासित क्षेत्रों के सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या		
विश्वविद्यालयों या कानूनी और स्वायत्त संगठनों या रसायन या		
पेट्रोरसायन की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में रसायन		
एवं पेट्रोरसायन में नौ (9) वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।		
टिप्पण 1- उप औद्योगिक सलाहकार, जिन्होंने वेतन		
मैट्रिक्स (रु.67,700-2,08,700) के स्तर-11 की उस श्रेणी में पांच वर्ष		
की नियमित सेवा की है, बाहर वालों के साथ विचार किया जायेगा और		
उसके पद पर नियुक्ति के लिए चयन किए जाने की दशा में वह पद		
प्रोन्निति द्वारा भरा गया समझा जायेगा।		
टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके		
अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर		
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अविध है साधारणतया चार		
वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के		
लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56		
र्वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. अपर औद्योगिक	1*	सामान्य केन्द्रीय	स्तर-13	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।
सलाहकार	(2017)	सेवा, समूह 'क',	(रु.1,23,100-		
	*कार्यभार के आधार	राजपत्रित,	2,15,900)		
	पर परिवर्तन किया	अननुसचिवीय			
	जा सकता है				

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	संयुक्त पद्धति [(अल्पकालिक संविदा
			सहित प्रतिनियुक्ति) और प्रोन्नति]

(11)	(12)	(13)
संयुक्त पद्धति [प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) और प्रोन्नित]:-	लागू नहीं होता ।	संघ लोक सेवा आयोग से
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्र		परामर्श करना आवश्यक है ।
के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या		
अर्धसरकारी या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के ऐसे अधिकारी,-		
(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण		
किया हुआ है, या		
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (रु.78,800-		
2,09,200) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के		
पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और		
(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव प्राप्त हो -		
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन की किसी शाखा		
(किन्तु जैव रसायन को छोड़कर) में मास्टर डिग्री और इसके साथ ही केंद्रीय		
सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों या सार्वजनिक क्षेत्र		
के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रसायन एवं		
पेट्रोरसायन की अनुसंधान संस्थाओं में रसायन या पेट्रोरसायन में दस वर्ष का		
अनुभव हो; या		
(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान की रसायन इंजीनियरी या रसायन प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री और साथ ही रसायन या पेट्रोरसायन के		
किंद्रीय या राज्य सरकारों या संघ शासित क्षेत्रों के सरकारी विभागों के या		
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त अनुसंधान		
संस्थाओं या स्वायत्त संगठनों अर्धसरकारी या स्वायत्त निकायों या सांवधिक		
संगठनों में रसायन एवं पेट्रोरसायन में 11 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो ।		
टिप्पण 1- ऐसे विभागीय संयुक्त औद्योगिक सलाहकार, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स		
(रु.78,800-2,09,200) के स्तर-12 की उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित		
सेवा की है, बाहर वालों के साथ विचार किया जायेगा और उसके पद पर		
नियुक्ति के लिए चयन किए जाने की दशा में वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जायेगा।		
टिप्पण 2- प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसके		
अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति		
से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति		
(अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक		
नहीं होगी।		
टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति(अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए		
अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		
जावभ गहा हापा।		

[फा. सं. ए-12011/01/2014-स्थापना]

रंजना काले, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

New Delhi, the 26th October, 2017

- G.S.R. 372.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Chemicals and Petrochemicals (Group `A' Posts) Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to certain technical posts in the Department of Chemicals and Petrochemicals in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, namely:-
- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Department of Chemicals and Petrochemicals (Group 'A' Technical Officers) Recruitment Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.** The number of the posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification**.— No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of person.
- 6. **Saving.** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex- servicemen and other categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of the	Number of	Classification	Level in the	Whether	Age limit for direct recruits
post	post		pay matrix	selection	
				post or non-	
				selection	
				post	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Assistant	01*	General Central	Level-10	Not	Not exceeding 35 years.
Industrial	(2017)	Service Group	(Rs.56,100-	applicable.	Note 1 Relaxable for Government
Adviser.	*subject to	'A' Gazetted,	1,77,500)		servants upto five years' in
	variation	non-ministerial.			accordance with the instructions or
	dependent				order issued by the Central
	on				Government.
	workload.				Note 2 The crucial date for
					determining the age-limit shall be
					the closing date for receipt of
					applications from candidates in
					India (and not the closing date
					prescribed for those in Assam,
					Meghalaya, Arunachal Pradesh,
					Mizoram, Manipur, Nagaland,
					Tripura, Sikkim, Ladakh division
					of Jammu and Kashmir State,
					Lahaul and Spiti district and Pangi

be recorded in writing, in the case of
candidates belonging to Scheduled
Castes or Scheduled Tribes, if at any
stage of selection the Union Public
Service Commission is of the
opinion that sufficient number of
candidates from these communities
possessing the requisite experience
are not likely to be available to fill up
the vacancies reserved for them.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
absorption to be made		
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'A' Departmental Confirmation Committee: 1. Joint Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals – Chairman; 2. Additional Industrial Adviser, Department of Chemicals and Petrochemicals – Member; and 3. Deputy Secretary (Establishment), Department of Chemicals and Petrochemicals – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy	02*	General Central	Level-11	Not applicable	Not applicable
Industrial	(2017)	Service, Group	(Rs.67,700-		
Adviser	*subject to	'A' Gazetted,	2,08,700)		
	variation	Non-ministerial			
	dependent on				
	workload				

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	50 % by composite method [Deputation (including short-term contract) plus promotion],
			50 % by deputation including short-term contract.

(11)	(12)	(13)
Composite method [Deputation (including short-	Not applicable	Consultation with the Union
term contract) plus promotion]:-		Public Service Commission
Officers under the Central Government or State		necessary.
Governments or Union Territory Administrations or		
Public Sector Undertakings or Universities or		
recognised research institutions or semi Government		
autonomous bodies or statutory organisations:		
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the		
parent cadre or department; or		
(ii) with five years service in the grade rendered after		
appointment thereto on a regular basis in posts in		
level 10 (Rs.56,100-1,77,500) in the pay matrix or		
equivalent in the parent cadre or department; and		
(b) possessing the following educational		
qualifications and experience :		

(i) Master's degree in any branch of Chemistry (but
excluding bio-chemistry) from a recognised
University or Institution and three years experience in
chemical or petrochemical sector under Central
Government or State Governments or Union
territory Administrations or public sector
undertakings or universities or recognised research
institutions or semi Government or autonomous
bodies or statutory organisations dealing with
chemicals or petrochemicals; or

(ii) Bachelor's degree in chemical engineering or chemical technology from a recognised University or Institute and four years of experience in chemical or petrochemical sector under Central Government or Governments or Union Territory State Administrations or public sector undertakings or universities or recognised research institutions or Semi Government or autonomous bodies or statutory organisations dealing with chemicals or petrochemicals

Note 1.—The departmental Assistant Industrial Adviser in level-10 (Rs. 56,100 – 1,77,500) in the pay matrix with five years' regular service rendered after appointment thereto in the grade will also be considered along with outsiders and in event of his selection to the post, the post shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 2.—The period of deputation (including shortterm contract) including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3.—The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(1)	(2)		(3))	(4)	1	(5)	(6)
3. Joint Industrial Adviser	02* (2017) *Subject variation dependent workload.	to on	General Service, 'A' Gazett ministerial				Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	50% by composite method [deputation (including short-term contract) plus promotion], 50% by deputation including short-term contract.

(1)	(2)		(3	5)	(4))	(5)	(6)
3. Joint Industrial Adviser	02* (2017) *Subject variation dependent workload.	to on	General Service, 'A' Gazet ministeria	Central Group ted, non- l			Not applicable	Not applicable

(11)	(12)	(13)
Composite method [deputation (including short term contract) plus promotion]:-	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary.
Officers under the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations:		necessary.
(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or		
(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-11 (Rs.67,700-2,08,700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and		
(b) possessing the following educational qualification and experience –		
i) Master's degree in any branch of chemistry (but excluding bio-chemistry) from a recognised University or Institution and eight years of experience in chemical or petrochemical under Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Semi-Government or autonomous bodies or statutory organisations dealing with chemicals or petrochemicals; or (ii) Bachelor's degree in chemical engineering or chemical technology from a recognised University or Institute and nine years' of experience in chemical or petrochemical under Central Government or State Governments or Union Territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Semi-Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations dealing with chemicals or petrochemicals.		
Note 1 The departmental Deputy Industrial Advisers in level-11 (Rs.67,700-2,08,700) in the pay matrix with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto will also be considered along with outsiders and in case, his selection to the post, the post shall be deemed to have been filled by promotion.		
Note 2 The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.		
Note 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Additional	01*	General Central	Level-13	Not applicable	Not applicable
Industrial	(2017) *Subject to	Service Group	(Rs.1,23,100-		
Adviser	variation	'A' Gazetted,	2,15,900)		
	dependent on	non-ministerial			
	workload				

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Composite method [deputation (including short-term contract) plus promotion]

(11)	(12)	(13)
Composite method [deputation (including short	Not applicable.	Consultation with the Union
term contract) plus promotion]:-		Public Service Commission
7		necessary.
Officers under the Central Government, State		
Governments, Union Territories Administrations,		
Public Sector Undertakings, Universities or		
Recognised Research Institutions or Semi-Government		
or autonomous bodies or statutory organisations,-		
(a) (i) holding analogous post on regular basis in the		
parent cadre or department; or		
(ii) with five years' service in the grade rendered after		
appointment thereto on regular basis in posts in level-		
12 (Rs.78,800-2,09,200) in the pay matrix or		
equivalent in the parent cadre or department; and		
(b) possessing the following educational qualification		
and experience-		
(i) Master's degree in any branch of Chemistry (but		
excluding bio-chemistry) from a recognised University		
or institution and ten years' of experience in chemical		
or petrochemical in a Central Government or State		
Governments or Union Territory Administrations or		
Public Sector Undertakings or Universities or		
Recognised Research Institutions or Semi-		
Government or Autonomous Bodies or Statutory		
Organisations dealing with chemicals or		
petrochemicals; or		
(ii) Bachelor's degree in chemical engineering or		
chemical technology from a recognised University or		
Institute and eleven years' of experience in chemical or		
petrochemical in a Central Government or State		
Governments or Union Territory Administrations or		
Public Sector Undertakings or Universities or		
Recognised Research Institutions or Semi-Government		
or autonomous bodies or statutory organisations		
dealing with chemicals or petrochemicals.		
Note 1 The departmental Joint Industrial Advisers in		
Level-12 (Rs.78,800-2,09,200) in the pay matrix with		
five years regular service in the grade rendered after		
appointment thereto will also be considered along with		
outsiders and in case, he is selected, the post shall be		
deemed to have been filled by promotion.		
Note 2 The period of deputation (including short-		
term contract) including period of deputation		
(including short term contract) in another ex-cadre post		
held immediately preceding this appointment in the		
same or some other organisation or department of the		

Central Government shall ordinarily not exceed five	
years.	
Note 3 The maximum age-limit for appointment by	
deputation (including short-term contract) shall be not	
exceeding fifty-six years as on the closing date of	
receipt of applications.	

[F.No. A-12011/01/2014-Estt.]

RANJANA KALE, Senior Economic Advisor

ALOK
KUMAR

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.11.09
09:57:34 +05'30'